International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 4, Issue 8, August 2017
Website- www.aarf.asia, **Email** : editoraarf@gmail.com

राजस्थान में नव सामाजिक आन्दोलन : वश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr Alka
Post Doctoral Fellow (ICSSR)
Department of Political Science
University of Rajasthan, Jaipur

प्रस्तावना -

सामाजिक आन्दोलन एक प्रकार की 'सामूहिक क्रिया' है। सामाजिक आन्दोलन व्यक्तियों या संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका ध्येय किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केन्द्रित होता है। दूसरे शब्दों में ये कोई सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं उसका विरोध करते हैं या किसी सामाजिक परिवर्तन को समाप्त कर पूर्वस्थिति में लाना चाहते हैं। सामाजिक आंदोलन में एक लम्बे समय तक निरन्तर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। ऐसी गतिविधियाँ प्रायः राज्य के विरूद्ध होती हैं तथा राज्य की नीति तथा व्यवहार्य में परिवर्तन की मांग करती है। स्वतः स्फूर्त तथा असंगठित विरोध को भी सामाजिक नहीं कह सकते। सामूहिक गतिविधियों में कुछ हद तक संगठन होना आवश्यक है। इस संगठन में नेतृत्व तथा संरचना होती है जिसमें सदस्यों का पारस्परिक संबंध, निर्णय प्रक्रिया तथा उनका अनुपालन परिभाषित होता है। सामाजिक आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के उद्देश्य तथा विचारधाराओं में भी समानता होती है। सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने (या रोकने) का तरीका होता है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजातीय लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। जबकि सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो कभी–कभी यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिरोधी आंदोलन जन्म लेते हैं। सामाजिक आंदोलन आसानी से समाज को नहीं बदल सकते। चूंकि यह संरक्षित हितों तथा मूल्यों दोनों के विरूद्ध होते हैं इसलिए इनका विरोध तथा प्रतिकार होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ समय बाद परिवर्तन भी होते हैं। सामाजिक आंदोलनकारी लोगों को उनसे

संबंधित मुद्दों पर प्रेरित करने के लिए सभाएँ करते हैं। ऐसी गतिविधियाँ साझा सोच में सहायक होती हैं तथा सामूहिक एजेण्डा को आगे बढ़ाने में स्वीकृति की भावना अथवा आम सहमति के लिए लोगों को तैयार करवाती है। राजस्थान राज्य सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त पिछडा राज्य है। सामन्तवाद, जागीरदारी–प्रथा, कृषि प्रधानता, औद्योगिक पिछड़ापन, गरम एवं सूखी जलवायु, पानी के स्रोतों के कम होने के कारण राजस्थान शिक्षा, तकनीकी विकास, जन–जागरूकता, सम्पन्नता आदि से सामान्यतः वंचित रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सूचना का अभाव सामान्यतः पाया जाता है।

संकेत शब्द - अनौपचारिक, सामन्तवाद, जागीरदारी–प्रथा, तकनीकी विकास, जन–जागरूकता,

पारस्परिक संबंध, निर्णय प्रक्रिया

राजस्थान में सामाजिक आन्दोलन _

सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न साधनों को भी विकसित करता है। जैसे मोमबत्ती या मशाल जुलूस, काले कपड़े का प्रयोग, गीत, कविताएँ आदि। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा, सत्याग्रह तथा चरखे के प्रयोग जैसे नए तरीकों को अपनाया। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलनों में कुछ अंतर होता है। सामाजिक परिवर्तन की वृहद् ऐतिहासिक प्रक्रियाएँ असंख्य व्यक्तियों तथा सामूहिक गतिविधियों का परिणाम होती है। सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित होते हैं। इसमें लंबा तथा निरंतर सामाजिक प्रयास तथा लोगों की गतिविधियाँ शामिल होती है। इस प्रकार सामाजिक आंदोलनों को लम्बे समय से चला आ रहा सतत् सामूहिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह ऐसे प्रयास होते हैं, जो सामान्यतः सरकार के कृत्यों के विरूद्ध खड़े होते हैं तथा राज्य की नीतियों एवं आचरण में परिवर्तन की मांग का रूप ले लेते हैं। नव सामाजिक आंदोलन भी एक परिवर्तन की मांग है, इनमें ऐसी मांगों को रखा गया है जिन्हें वस्तुतः अब तक के सामाजिक आंदोलनों द्वारा उपेक्षित छोड़ दिया गया था या बहुत कम महत्व दिया गया था। इस लेख में पर्यावरणात्मक, मानवाधिकार संरक्षण, नारीवादी एवं जन–जागरण आंदोलनों को स्थान दिया गया है। इन्हें नया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पहचान और स्वायत्तता से जुड़े ऐसे मुद्दों को उठाया गया है जो इत्तरवर्गीय मुद्दे हैं और ये सामाजिक–आंदोलनों के आधुनिक रूप हैं। इनका सरोकार मानव–जीवन की गुणवत्ता का विकास करना है। नव–सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य केवल केन्द्र या राज्य की सत्ता में ही सुधार करना नहीं है, बल्कि इनके साथ–साथ वैयक्तिक एवं सामूहिक नैतिकता को भी बढ़ाना है। ये आंदोलन किसी एक वर्ग या समूह से नहीं जुड़े होते, वरन् ये सामूहिक हित से जुड़े होते हैं।

राजस्थान राज्य सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त पिछडा राज्य है। सामन्तवाद, जागीरदारी–प्रथा, कृषि प्रधानता, औद्योगिक पिछड़ापन, गरम एवं सूखी जलवायु, पानी के स्रोतों के कम होने के कारण राजस्थान शिक्षा, तकनीकी विकास, जन–जागरूकता, सम्पन्नता आदि से सामान्यतः वंचित रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सूचना का अभाव सामान्यतः पाया जाता है। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति दयनीय है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में महिलाओं के लिये यह सर्वाधिक बदतर हालत में है। बाल विवाह के लिये बदनाम राजस्थान में लिंग–अनुपात भी सबसे बदतर स्थिति में हैं। बंधुआ श्रम प्रणाली के अन्तर्गत, एक व्यक्ति को उसके श्रम के बदले में नाममात्र की या बिल्कुल भी मजदूरी या वेतन नहीं मिलता है। उसे ऋणी बंधक के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि बंधुआ मजदूर की सामान्यतः ऋण के भुगतान के साधन के रूप में मांग की जाती है। वास्तव में इस अमानवीय प्रथा को अवैतनिक श्रम का लाभ उठाने के लिए एक चाल के रूप में शोषणकारी जमींदारों या साहूकारों द्वारा इस्तेमाल किया गया है।

ये व्यवस्था इस प्रकार कार्य करती है, जैसे समाज के गरीब, दलित या कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति अपनी जीविका को चलाने के उद्देश्य से साहूकार या जमींदारों से ऋण लेगा जिसके बदले में उसे ये अवसर मिल जायेगा कि ऋणी के पास जो कुछ भी चल–अचल संपत्ति है उसे बंधक के रूप में अपने पास रख ले और उस ऋणी को बिना किसी मजदूरी या श्रम के उस देनदार के कहने के अनुसार कार्य करना पड़े। ये साहूकार ऋण की ब्याज दरों को इतना ऊँचा रखते हैं कि ऋणी मूलधन कभी चुका ही नहीं पाता। वो लेनदार पीढ़ी दर पीढ़ी ऋणी रहेगा और उसका ऋण कभी भी चुकता नहीं हो पाता। इस तरह से बंधुआ मजदूरी का दुष्चक्र चलता रहता है। समाज में उनकी कमजोर आर्थिक व सामाजिक स्थिति, जीविका के अधिक साधनों का अभाव, बड़े परिवारों, घटिया शैक्षिक स्तर और दलितों में जागरूकता की कमी उनकी स्थिति को और भी अधिक बुरा बना देती हैं। इसीलिये जमींदार या साहूकार उन्हें अपने श्रम को नाममात्र के वेतन या बिना किसी वेतन के बेचने को मजबूर करते हैं। बंधुआ मजदूरी, बेगार का दूसरा रूप है। हालांकि सभी बंधुआ मजदूर बेगार नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर बेगार मजदूरी की प्रकृति बन्धुआ मजदूरी की ही तरह होती है या तो दबाव में या फिर मजबूरी में।

बंधुआ मजदूरी केवल कृषि के क्षेत्र में ही प्रचलित नहीं है वरन् शहरों में बहुत से क्षेत्रों जैसे खनन, माचिस का निर्माण कार्य और भट्टे (जहाँ ईंटों का निर्माण होता है) आदि में ये व्यापक रूप से फैला हुआ है। इस अमानवीय व्यवस्था प्रणाली में बच्चों को भी शोषित किया जाता है जैसे पटाखे निर्माण की ईकाईयाँ, माचिस निर्माण की ईकाईयाँ, टैक्सटाइल, चमड़े से वस्तु निर्माण कार्यों आदि में, वो चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों आदि में सुबह से लेकर शाम तक काम करने के लिये मजबूर किये जाते हैं। बाल श्रम उन्मूलन और बाल कल्याण को लेकर केन्द्र व राज्यों की सरकारें लाख दावे करें मगर हकीकत झकझोर देने वाली है। राजस्थान में बच्चों की बंधुआ मजदूरी पर लगाम नहीं लग पा रही। जयपुर में ये बच्चे चूड़ी बनाने,

© Associated Asia Research Foundation (AARF)

आरी–तारी के कारखानों में 16 से 18 घंटे काम करते थे ऐसे में त्वचा और श्वास संबंधी रोगों ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया। बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराकर जयपुर जिला प्रशासन ने उन्हें बंधुआ अवमुक्ति प्रमाण–पत्र देकर रवाना किया गया था। बिहार का क्रय विभाग उन्हें ले गया था। कई बच्चों को फिर से राजस्थान के विभिन्न जिलों में मजदूरी के लिये भेज दिया गया।

बाल विवाह -

श्रीमती सुशीला गोथाला, निवासी सी–3, लाल कोठी जयपुर द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जनहित याचिका दायर की गई ताकि प्रभावी रूप से बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, जिसे 1978 के अधिनियम 2 के अन्तर्गत संशोधित किया गयाथा, के प्रावधानों को बलपूर्वक लागू करके प्रतिवादियों को रिट, आदेश या निर्देश देकर एवं इसके आगे उस अधिकारी को दण्डित करने के निर्देश दे कर जो बाल विवाह को रोकने के लिये जिम्मेदार था, इसके लिये कदम उठाए जाएँ। प्रत्येक वर्ष इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल–विवाह किये जाते हैं। इस याचिका में यह भी जारी किया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी राजस्थान राज्य वास्तव में इसे रोकने में असफल रहा है। यह कहा गया कि बाल विवाह मुख्य रूप से लोहर, कुम्हार, रावत, बैरवा, रैगर, बलाई, खटीक, जट जाट, गुजर विश्नोई आदि जैसे समुदायों में प्रचलित है। यहाँ तक कि कुछ निम्न जाति के मुस्लिमों ने जो हाल ही में इस्लाम में परिवर्तित हुए हैं, बाल विवाह के इस युग में पुराने रीति–रिवाज का पालन किया।

‘आखा तीज’ का त्यौहार बाल –विवाह के लिये शुभ दिन माना जाता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि बच्चों को गोद में लेकर उनके माता–पिता इस अवसर पर शादी करा देते हैं। जनगणना रिपोर्टों के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि राजस्थान राज्य में अधिकतम संख्या में बाल–विवाह होते हैं। यह विचित्र है कि न्यायालय में राजकीय अधिवक्ता, मुख्य सचिव एवं डी.जी.पी. के पक्ष से नोटिस स्वीकार नहीं करते जब तक कि विशेष रूप से ऐसा करने को नहीं कहा जाए। राजकीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को नोटिस भेज दिये गए हैं एवं इसके उपरान्त यदि सरकार राजकीय अधिवक्ताओं को उपस्थित होने का निर्देश देती है तो वे उपस्थित होंगे।

अस्पृश्यता के विरूद्ध सुरक्षा और न्यायिक सक्रियता -

राजस्थान में अस्पृश्यता की समस्या भी वर्षों से चली आ रही है। आज के तकनीकी रूप से आधुनिक समाज में जो तेजी से 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर है, उसमें मनुष्य– मनुष्य को अस्पृश्य मान

कर चल रहा है। प्रोफेसर भंसाली की अध्यक्षता में कमीशन की रिपोर्ट जो बड़ी सादड़ी (चित्तौडगढ़, राजस्थान) में अस्पृश्यता की प्रथा पर आधारित थी, उसने अस्पृश्य हरिजनों के दयनीय उप–मानवीय जीवन एवम् आक्रोश की पराकाष्ठा का खुलासा किया जो बड़ी सादड़ी में सांस ले रहे थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक सक्रिय दृष्टिकोण ग्रहण किया एवं स्वतः संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी किया कि राजस्थान पत्रिका समाचार–पत्र की पेपर कटिंग रिकॉर्ड में ली जाए और औपचारिक रिट पिटीशन दायर करने की आवश्यकताएं शपथ–पत्र एवं अदालत शुल्क के साथ पूरी की जाए और प्रक्रिया को संवैधानिक दायित्व को लागू करने के लिये जनहित याचिका के तौर पर ग्रहण किया जाए।

एकान्त कारावास के विरूद्ध अधिकार -

एक जनहित याचिका जो मूल में टेलीग्राम के रूप में थी वह अक्टूबर, 1980 में याचिकाकर्ताओं की ओर से 'किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य' में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भेजी गई थी जिसमें याचिकाकर्ताओं ने असह्य और अवैध एकान्त कारावास एवं लोहे की बेड़ियों की शिकायत की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों को लोहे की हथकड़ियों एवं एकान्त–कारावास से मुक्त करने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये गए कि जिस व्यक्ति को गहरे घाव लगे हैं उसकी उचित चिकित्सीय इलाज के उपरान्त विशेष देखभाल की जाए।

माननीय न्यायाधीश ने यह भी अभिव्यक्त किया कि एकान्त कारावास लोहे की हथकड़ियों के साथ 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामलों के अतिरिक्त नहीं दिया जा सकता एवम् उसे भी कैदियों की सजा से संबद्ध न्यायालय के निर्णयों में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कठोर पालना के साथ ही जारी रखा जा सकता है।

वन्य जीव संरक्षण से संबंधित याचिकाएं -

राजस्थान उच्च न्यायालय में रणथंभौर और सरिस्का सहित अन्य जगहों पर वन्यजीवों की मृत्यु के मामल`में लिये गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने के आदेश दिये और कहा कि आबादी होने के कारण गांव जंगल की ओर जा रहे हैं और वन्यजीव गांवों में आ रहे हैं और वन्य जीव गांवों में आ रहे हैं। एकलपीठ ने रणथंभौर नेचर गाइड एसोसिएशन की याचिका में सुनवाई के दौरान रणथंभौर में टाइगर के दो बच्चों की मौत को गंभीर मानते हुए उन्हें जहर देने की संभावना जताई थी। दूसरी ओर राज्य सरकार ने एकलपीठ के समक्ष अपने जवाब में प्रथम दृष्टया बाघों की मौत प्राकृतिक होना बताया।

निष्कर्ष

इस प्रकार राजस्थान राज्य में भी जनहित याचिका नव सामाजिक आंदोलन के रूप में है, इनका संबंध अद्यतन आवश्यकताओं से है एवं इस संबंध में न्यायालयों ने बहुत सारे निर्णय दिये हैं जिनसे सामाजिक न्याय में वृद्धि हुई है, सामाजिक समस्याओं एवं जटिलताओं का हल निकला है। जो संभव चुनौतियां जनहितवादों के सम्मुख आ रही है, उनका परीक्षण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैचारिक आदर्शों के आलोक में किया जाना चाहिये। राजस्थान में उच्च न्यायालय ने बाल–विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज समस्या, एकान्त कारावास, पुलिस अभिरक्षा में दुर्व्यवहार, अस्पृश्यता, वन्य जीव संरक्षण, जल प्रदूषण नियंत्रण अस्पतालों की कार्य प्रणाली आदि महत्वपूर्ण जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उचित दिशा–निर्देश जारी किये। कुछ जनहित याचिकाओं को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता को 'सुने जाने का अधिकार' नहीं था और राज्य सरकार को जांच कमीशन की नियुक्ति करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता था जैसे लूनी नदी में बाढ़ प्रकरण के संबंध में कुछ अस्पष्ट जनहित याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया जैसे अश्लील साहित्य के विरूद्ध। बाल विवाह के संबंध में न्यायालय द्वारा उचित निर्देश देने के साथ ही यह स्पष्ट किया कि यह सामाजिक बुराई तभी समूल रूप से नष्ट होगी जब राजस्थान के लोग स्वयं इस पुरानी प्रथा के विरूद्ध विद्रोह कर देंगे। सरकार को विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा पूरे वर्ष भर राजस्थान में अभियान चलाना चाहिये ताकि लोगों को ऐसे बाल विवाह करने से हतोत्साहित किया जा सके।

सामाजिक कुप्रथाओं को जनजागृति द्वारा रोकने का निर्देश प्रशंसनीय ही है। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के ही एक प्रकरण पर प्रथमबार एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि पत्र महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर सम्मेलन (सीडा) का संदर्भ लेते हुए दिशा निर्देश संग्रह का निर्धारण किया जिसे विशाखा दिशा निर्देश कहा गया जो कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के लिये बनाया गया था। धीरे–धीरे राजस्थान में भी जनहित याचिकाएँ विविध मुखी हो गई। गरीबों के उत्पीड़न का निदान करने के बजाय ये अनेक पर्यावरणीय समस्याओं एवं राजनैतिक अराजकता के विरूद्ध अभिमुख हो गई। कुछ समय पूर्व ही जनहित याचिकाएं राजस्थान सरकार के अध्यादेश के विरूद्ध दायर की गई जिसमें भारतीय दंड प्रक्रिया में संशोधन किया गया जो राजस्थान में ही लागू होना था। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति वर्तमान या पूर्व लोकसेवक या मजिस्ट्रेट के विरूद्ध कोई परिवाद दायर करे तो न्यायालय तब तक जांच के आदेश नहीं दे सकता था जब तक सरकार की स्वीकृति न मिल जाए। उच्च न्यायालय ने, केन्द्र सरकार की ओर प्रदेश में करीब दस हजार पेट्रोल पंपों का आवंटन करने के लिये जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उस पर अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका के तहत रोक लगा दी। सक्रियता दिखाते हुए न्यायालय ने भारत सरकार, राजस्थान सरकार, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत

पेट्रोलियम आदि को नोटिस जारी किये। इसी प्रकार एयरपोर्ट के विस्तार बाबत् जनहित याचिका पर भी न्यायालय ने एयरपोर्ट अथोरिटी व जिलाधीश को निर्देश दिये।

जनहित याचिकाओं के दुरूपयोग पर उच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए जुर्माना भी लगाया। यह निजी मेडिकल कॉलेज महासंघ द्वारा आयोजित कराए जाने वाली निजी मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में था जो ज आयोजित की जाने वाली थी। उच्च न्यायालय ने महासंघ के जवाबों से संतुष्ट होकर इस याचिका को खारिज कर याचिकाकर्ता पर पांच लाख रूपये का जुर्माना लगायाइसी प्रकार उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के लिये जमीन के संबंध में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि भूमि की आवश्यकता को प्रशासनिक स्तर पर देखा जाएगा। न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा कि जनहित याचिका गरीब व दिव्यांग और अदालतों में नहीं पहुंच सकने वालों के लिये दायर की जाती है। आज भी राजस्थान में अनेक समस्याएं मौजूद हैं जिनका हल तीनों शाखाओं के सक्रिय सहयोग से ही संभव हो सकता है। उच्च न्यायालय की भांति ही सरकार एवं विधायिका को भी जागरूक होना होगा कि वे जनससमयाओं को हल करें ताकि न्यायालय का भार कम हो सके।

आभार :- **भारतीय सामाजिक वज्ञानं अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के द्वारा मुझे "जनहित या चका एवं नव सामाजिक आन्दोलन:राजस्थान राज्य के वशेष संदर्भ में अध्ययन" वषय पर मुझे पोस्ट डॉक्टोरल फेलो शप आदेश क्रमांक F.No.3-22/2016-17/PDF/SC दिनांक 30.01.2017 के द्वारा प्रदान की गई एवं इसको पूर्ण करने के लए राजस्थान वश्व वधालय जयपुर के राजनीति वज्ञान वभाग की प्रोफ़ेसर डॉ मंजू कुमारी जैन का ह्रदय से आभार प्रकट करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन व निर्देशन में यह कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण कया l**

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. इन > इन्डेक्स. पी.एच.पी. > पॉल्यूशन इन नवम्बर 2016, पॉल्यूशन इन राजस्थान रीचेज अलार्मिंग लेवल्स, राज राज. इन
2. रिलीफ वेन. इन, > रिपोर्ट > ड्राफ्ट इन राजस्थान 13 जुलाई 2000
3. विजय मेहता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 1109/79 (लूनी नदी)
4. सम्पत राज जैन बनाम राजस्थान स्टेट बोर्ड फॉर दी प्रिवेंशन एण्ड कण्ट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जयपुर एण्ड अदर्स, मरूधर मृदुल

5. विजय मेहता बनाम इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एण्ड अदर्स, एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 2148/83

6. परमेश्वर आ लया,प्रेमसुख बनाम श्रीमती वमला देवी (1987) 6 रिपोर्ट्स(राज.)109

7. डॉक्टर एस.जी.काबरा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य आर.एल.आर.1989(1)695

8. राजस्थान कसान संगठन बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर 1989 राजस्थान 10

9. एल.के.कुलवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य ए.आई.आर 1988 .राजस्थान 2

10. सद्दराज ढडढा बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1995.राजस्थान 68,26मई1993